प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या : 698/उन्तीस/17–2 (23 पेय.)/2017

प्रेषक,

एस. रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त,
   गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग–2

देहरादून दिनांक : 18 मई, 2017

विषय : प्रदेश के अन्तर्गत विद्यमान जल संकट के न्यूनीकरण हेतु दिनांक 25 मई, 2017 को 'जल दिवस' के रूप में मनाये जाने एवं तदोपरान्त जल संचय तथा जल संरक्षण–संवर्द्धन के निमित्त विशेष अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण जहाँ एक ओर सतही जल श्रोतों एवं भूगर्भ जल स्तर में निरन्तर गिरावट के कारण जल संकट की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक विकट हो रही है, वहीं दूसरी ओर मृदा नमी में कमी के चलते वनस्पतियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ–साथ वनाग्नि की घटनाओं में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि आगामी दिनांक 25 मई, 2017 को प्रदेश मुख्यालय, जनपद मुख्यालय एवं विकास खण्ड मुख्यालय स्तर पर जल संचय दिवस का आयोजन करते हुए पूर्ण जन सहभागिता के माध्यम से जल संचय तथा जल संरक्षण–संवर्द्धन हेतु प्रतिज्ञान लिया जाय और तत्सम्बन्धी कार्यों को एक अभियान के रूप में सम्पादित किया जाय।

2. उक्त प्रस्तावित अभियान के अन्तर्गत जल संचय तथा जल संरक्षण–संवर्द्धन कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध विभागों की गतिविधियों पर सम्यक विचारोपरान्त विभागीय गतिविधियों को समन्वित रूप से करते हुए उसे अपेक्षाकृत अधिक प्रभावकारी एवं फलदायक बनाये जाने के निमित्त निम्नवत् कार्य योजना निरूपित की गयी है :–

क. प्रदेश मुख्यालय स्तर पर आयोजन/प्रस्तावित कार्यक्रम :

(1) दिनांक 25 मई, 2017 को प्रदेश स्तर पर 'जल संचय दिवस समारोह' का आयोजन मा. मुख्यमंत्री जी के कैंट रोड़, देहरादून स्थित कैम्प कार्यालय के अन्तर्गत 'जनता दरबार हॉल' में किया जायेगा। इस आयोजन की व्यवस्था एवं आवश्यक समन्वय निदेशक, स्वजल द्वारा किया जायेगा। इस समारोह के दौरान निम्न कार्यक्रम होंगे :–

(i) स्वजल निदेशालय द्वारा जल संचय तथा जल संरक्षण–संवर्द्धन के प्रति प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जन जागरूकता एवं जन सहभागिता में वृद्धि हेतु 'जन चेतना रथ' (गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल के लिए एक–एक) का फ्लैग ऑफ मा. मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कराया जायेगा। 'जन चेतना रथ' में एक नुक्कड़ नाट्य मण्डली भी होगी जो निदेशक, स्वजल

द्वारा नियत यात्रा कार्यक्रम के अनुसार अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर रूककर सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक के मंचन तथा प्रचार सामग्रियों के वितरण के माध्यम से जन जागरण/जन सहभागिता बढ़ाने का प्रयास करेगी। प्रचार सामग्रियों के सम्बन्ध में जल संस्थान एवं स्वजल द्वारा परस्पर विचार–विमर्श करते हुए सामग्री तैयार की जायेगी और उसका प्रकाशन स्वजल निदेशालय द्वारा किया जायेगा। प्रचार सामग्री में पेयजल संकट की भयावहता, जल संचय की महत्ता एवं आवश्यकता के चित्रण सहित शौचालयों के सिस्टन में एक लीटर के बालू भरे बोतल को डालकर सिस्टन के प्रत्येक उपयोग पर एक लीटर पानी बचाने जैसे छोटे–छोटे उपायों को अपनाने पर बल दिया जाय। स्वजल निदेशालय द्वारा प्रचार सामग्रियां सभी विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को भी अग्रेत्तर उपयोगार्थ एवं वितरणार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) स्वजल निदेशालय एवं जल संस्थान द्वारा उक्त समारोह में प्रदेश के अन्तर्गत जल संस्थान एवं ग्राम पंचायतों के रख–रखाव के अधीन पेयजल योजनाओं में जल श्रोत/स्तर के Mapping के कार्य का भी शुभारम्भ कराया जायेगा तथा जल संस्थान द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 100 चाल–खाल का निर्माण उक्त तिथि को प्रारम्भ करते हुए 30 जून तक इस कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा।

(iii) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 2500 फार्म पोण्ड के निर्माण सहित 1000 परम्परागत जल श्रोतों के पुनरोद्धार का कार्य मनरेगा के अन्तर्गत उक्त तिथि को प्रारम्भ करते हुए उन्हें 30 जून तक पूर्ण कराया जायेगा।

(iv) कृषि विभाग के द्वारा उक्त अवसर पर 100 Water Harvesting Strucutres का निर्माण उक्त तिथि को प्रारम्भ करते हुए उन्हें 30 जून तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

(v) वन विभाग के द्वारा उक्त तिथि को 2.00 लाख लीटर क्षमता के 250, 1.00 लाख लीटर क्षमता के 250, 50 हजार लीटर क्षमता के 1000 एवं 20 हजार लीटर क्षमता के 1500 जल कुण्डों का निर्माण सहित 10 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में 21 लाख ट्रैंच एवं 05 हजार पिरूल चैक डैम का निर्माण प्रारम्भ कर उन्हें 30 जून, 2017 तक पूर्ण किया जायेगा।

(vi) जलागम विभाग के द्वारा 1258 Roof Water Harvesting Tank, 144 Irrigation Tank, 53 एल.डी.पी.ई. टैंक तथा 409 Village Pond/चाल–खाल का निर्माण उक्त तिथि को प्रारम्भ करते हुए उन्हें 30 जून तक पूर्ण किया जायेगा।

(vii) उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा विभागों के द्वारा महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में उक्त तिथि को जल संचय तथा जल संरक्षण–संवर्धन विषय पर व्याख्यान माला तथा निबन्ध/चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा तथा जन जागरण अभियान के आगामी कार्यक्रमों में शासकीय विद्यालयों के साथ–साथ निजी विद्यालयों का भी सहयोग लिया जायेगा।

(viii) सूचना विभाग द्वारा जल संचय तथा जल संरक्षण–संवर्धन विषय पर 1–2 मिनट की लघु फिल्म तैयार की जायेगी जिसका विमोचन मा. मुख्यमंत्री जी के कर–कमलों से उक्त तिथि को कराया जायेगा और तदोपरान्त टी.वी.चैनल एवं सिनेमाघरों में प्रसारण की व्यवस्था करायी जायेगी।

(ix) विभिन्न शासकीय भवनों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा आवासीय कालोनियों में Roof Top Rain Water Harvesting Structures के निर्माण को बाध्यकारी बनाकर सम्बन्धित विभागों से तत्सम्बन्धी योजना कियान्वित करायी जायेगी तथा इस हेतु विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने क्षेत्रों में प्रवर्तन कार्य सुनिश्चित कराने के साथ–साथ ऐसे कार्यों के लिए Incentive का भी प्राविधान कराया जायेगा। एक आदर्श शुरूआत के तौर पर सचिवालय प्रशासन विभाग/राज्य सम्पत्ति विभाग के द्वारा सचिवालय भवन एवं मुख्यमंत्री आवास भवन पर Roof Top Rain Water Harvesting Structures का निर्माण उक्त अवधि में सुनिश्चित किए जायेंगे।

ख. **जनपद स्तर पर आयोजन/प्रस्तावित कार्यक्रम :**

(i) दिनांक 25 मई, 2017 को प्रत्येक जनपद में जनपद स्तर पर एवं विकास खण्ड स्तर पर भी 'जल दिवस समारोह' का आयोजन प्रदेश स्तरीय उक्त रूपरेखा के आलोक में ही किया जायेगा। जनपद स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा जनपद के मा. प्रभारी मंत्री जी से अनुरोध करते हुए उनके मार्गदर्शन अनुसार कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जायेगी।

(ii) जिलाधिकारी द्वारा तत्काल जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक करते हुए उनके विभाग द्वारा प्रदेश के संदर्भ में नियत किए गए उपरोक्त लक्ष्यों की जनपद के लिए फॉट को स्पष्ट कराकर तदनुसार कियान्वयन की कार्य योजना तैयार की जायेगी तथा 30 जून तक उसका कियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी मॉनीटरिंग की व्यवस्था की जायेगी।

(iii) जिलाधिकारी द्वारा यह भी आंकलन कराया जायेगा कि दिनांक 25 मई से 30 जून की अवधि के लिए विभागों के द्वारा लक्ष्यित/प्रस्तावित निर्माण संरचनाओं से जल संचय, जल संरक्षण–संवर्धन की अनुमानित/लक्ष्यित मात्रा (किलो लीटर अथवा लीटर में) कितनी होगी और 30 जून के उपरान्त मानसून के दौरान जल संचय/संरक्षण की सफलता के आंकलन/मापन की व्यवस्था करते हुए वास्तविक रूप से संचित/संरक्षित जल की मात्रा का भी आंकलन कराकर तत्सम्बन्धी आंकड़े तैयार किए जायेंगे।

(iv) विभिन्न विभागों के द्वारा उपरोक्तानुसार कराये जाने वाले कार्यों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी/जियो–टेगिंग के माध्यम से सत्यापन की एक सुदृढ़ व्यवस्था भी जिलाधिकारी के द्वारा की जायेगी और निर्माण कार्य की प्रगति, अनुमानित संचय/संरक्षण की मात्रा, वास्तविक संचित/अनुरक्षित जल की मात्रा तथा अन्य प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभों के संदर्भ में अपनी सूचना समय–समय पर निदेशक, स्वजल को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, स्वजल द्वारा इस प्रकार समस्त जनपदों से प्राप्त सूचना संकलित कर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(v) जिलाधिकारी द्वारा जनपद के अन्तर्गत स्थित होटल व्यवसायियों एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/आवासीय परिसरों के अन्तर्गत भी जल के नियंत्रित उपयोग के माध्यम से जल संचय तथा जल संरक्षण–संवर्धन में सहयोग करने हेतु सम्बन्धित एसोसियेशन/विकास कर्ताओं को भी बैठक में आमंत्रित कर उनसे अपेक्षित कार्यों का चिन्हीकरण करते हुए उक्त अवधि में कियान्वयन का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्तानुसार निरूपित कार्य योजना दिनांक 25 मई से 30 जून तक की अवधि (Intensive phase) के सम्बन्ध में है जिसके परिणाम की समीक्षा जनपद स्तर पर एवं प्रदेश स्तर पर तदोपरान्त की जायेगी। समीक्षा परिणामों के आलोक में मानसून अवधि अथवा उसके उपरान्त की अवधि के सम्बन्ध में कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्धारण यथासमय किया जायेगा। अनुरोध है कि कृपया उक्त कार्यक्रम/अभियान को गंभीरतापूर्वक लेते हुए सुनियोजित रणनीति के तहत क्रियान्वयन सुनिश्चित कर उक्त अभियान को सफल बनाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस. रामास्वामी)
मुख्य सचिव।

संख्या : 698/उन्तीस/17–2 (23 पेय.)/2017/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल को महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण को मा. मन्त्री जी के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यॉकी)
प्रभारी सचिव।